Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 40–2025] CHANDIGARH, TUESDAY, OCTOBER 7, 2025 (ASVINA 15, 1947 SAKA)

PART-II

Notifications of Election Commission of India-Other Notifications and Republications from the Gazette of India

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

सं 76/हरि.–वि.स./16/2024/सी.ई.एम.एस.–1 **दिनांकः 23 सितम्बर, 2025**
1 अश्विन, 1947 शक

आदेश

यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनाक 5 सितम्बर, 2024 की अधिसूचना सं0 464/भा0नि0आ0/हरि0–वि0स0/2024 के अनुसरण में हरियाणा राज्य के **16–कलायत** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी, और

यतः, हरियाणा राज्य के **16–कलायत** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 7 नवम्बर, 2024 थी, और

यतः निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप–नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, **कैथल** की रिपोर्ट दिनांक 08.11.2024 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा से दिनांक 05.02.2025 पत्र सं0 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE–692 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार **श्री राजेश कुमार** जो हरियाणा राज्य के **16–कलायत** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं, और

यतः जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप–नियम (5) के अंतर्गत **श्री राजेश कुमार** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/हरि/वि.स./व्यय लेखा/2024/सी.ई.एम.एस.–1 दिनांकः 30 अप्रैल, 2025 को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप–नियम (6) के अनुसार **श्री राजेश कुमार** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के पास होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, **कैथल** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः जिला निर्वाचन अधिकारी, **कैथल** से दिनांक 10.06.2025 के पत्र सं0–निर्वाचन–2025/190 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से **श्री राजेश कुमार** को दिनांक 07.05.2025 को तामील किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **कैथल** ने पत्र सं0– निर्वाचन–2025/190 दिनांक 10.06.2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि **श्री राजेश कुमार** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, **श्री राजेश कुमार** ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है किः

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री राजेश कुमार** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 में हरियाणा राज्य के **16–कलायत** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री राजेश कुमार, गांव ढुण्डवा, तहसील कलायत, जिला कैथल, हरियाणा** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगें।

राकेश कुमार
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001 **NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001**

No.76/HR-LA/16/2024/CEMS-I **Dated: 23rd September, 2025**
1 Asvina, 1947 (Saka)

ORDER

WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Haryana, 2024 for **16-Kalayat** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/ECI/HAR-LA/2024, dated 5th September, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election for **16-Kalayat** Assmbly Constituency of Haryana, 2024 was declared by the Returning Officer on **8th October, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **7th November, 2024**; and

WHEREAS, as per the **DEO, Kaithal** report dated 08.11.2024 forwarded by the Chief Electoral Officer, Haryana vide his letter no. 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692, dated 05.02.2025, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Sh. Rajesh Kumar** a contesting candidate from **16-Kalayat** Assembly Constituency of state of Haryana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Kaithal** a Show-Cause notice No. **76/HR-LA/Exp.Account/2024/CEMS-I, dated 30th April, 2025** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Rajesh Kumar** for not lodging of his account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rule, 1961, **Sh. Rajesh Kumar**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Kaithal** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Kaithal** vide his letter no. Election-2025/190 dated 10.06.2025 has informed that the notice was duly served and received by **Sh. Rajesh Kumar,** on 07.05.2025; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Kaithal** in his Supplyment Report, vide its letter no. Election-2025/ 190 dated 10.06.2025 has reported that **Sh. Rajesh Kumar**, has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Rajesh Kumar,** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shal, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Rajesh Kumar,** has failed to lodge account of his election expeses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Rajesh Kumar, Vill. Dhundwa Tehsil Kalayat, Distirct Kaithal, Haryana,** a contesting candidate for **16-Kalayat Assembly Constituency** of Haryana in General Election to Legislative Assembly, 2024 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Praliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

RAKESH KUMAR
SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA

12065—C.S.—H.G.P., Pkl.